व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा ऋण योजना

क्र.सं	मानदंड	मानदंडों का विवरण
1.	सुविधा का उद्देश्य	क. आवेदक भारतीय राष्ट्रिक होना चाहिए. ख. उन प्रमाण पत्र/डिग्री पाठ्यक्रमों आदि में प्रवेश प्राप्त कर लिया हो जो सरकारी संस्थान या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं और भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग/संस्थान द्वारा चलाए या सहायता प्राप्त या कंपनी / सोसाइटी / संस्थान द्वारा सहायता प्राप्त नेशनल स्किल डे **वल**पमेंट कार्पोरेशन या स्टेट स्किल मिशन / स्टेट स्किल कार्पोरेशन द्वारा चलाए जाते हैं.
2.	पात्र पाठ्यक्रम	2 माह से 3 वर्ष तक की अवधि वाले व्यावसायिक / कौशल विकास पाठ्यक्रम जो भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग/संस्थान द्वारा चलाए या सहायता प्राप्त या कंपनी / सोसाइटी / संस्थान द्वारा सहायता प्राप्त नेशनल स्किल डेव**ल**पमेंट कार्पोरेशन या स्टेट स्किल मिशन / स्टेट स्किल कार्पोरेशन द्वारा चलाए गए प्रमाण पत्र/डिग्री पाठ्यक्रम आदि जो सरकारी संस्थान या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा जारी होते हैं. राज्य स्तरीय बैंकर समिति/ राज्य स्तरीय समन्वय समिति अच्छे रोजगारउन्मुखता वाले अन्य कौशल विकास पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों को शामिल कर सकती हैं.
3.	वित्त की राशि	पाठ्यक्रम की अवधि के आधार पर आवश्यकतानुसार वित्त निम्नानुसार है: -3 माह तक की अवधि के पाठ्यक्रम के लिए : रु. 20,000 -3 से 6 माह के अवधि के पाठ्यक्रम के लिए : रु.50,000 -6 माह और 1 वर्ष के बीच की अवधि के पाठ्यक्रम के लिए : रु. 75,000 -1 वर्ष से अधिक की अवधि के पाठ्यक्रम के लिए : रु. 1,50,000 फिर भी, यदि आवश्यक हो तो प्रतिष्ठित संस्थान द्वारा प्रस्तावित रोजगार-उन्मुखता(नौकरी से प्राप्त आय से चुकौती कर पाने की योग्यता) वाले ऐसे विशेष पाठ्यक्रम जो एक वर्ष से अधिक की अवधि के हैं ,के लिए उच्च सीमा स्वीकार की जा सकती है.
4.	चुकौती की शर्तें	**अधिस्थगन अवधि :** -1 वर्ष तक की अवधि के पाठ्यक्रम के लिए : पाठ्यक्रम की समाप्ति से 6 माह - 1 वर्ष से अधिक की अवधि के पाठ्यक्रम के लिए : पाठ्यक्रम की समाप्ति से 12 माह **चुकौती अवधि :** अधिस्थगन अवधि की समाप्ति के बाद चुकौती अवधि निम्नानुसार होगी : • रु. 50,000 तक ऋण के लिए: 2 वर्ष तक • रु. 50,000 से 1 लाख तक **के** ऋण के लिए: 2 से 5 वर्ष • रु. 1 लाख से अधिक ऋण के लिए: 3 से 7 वर्ष.
5.	ऋण मार्जिन	कुछ नहीं.

क्र.सं	मानदंड	मानदंडों का विवरण
6.	**प्रतिभूति**	संपार्श्विक या अन्य पक्ष गारंटी नहीं ली जाएगी. तथापि अभिभावक उधारकर्ता विद्यार्थी के साथ संयुक्त उधारकर्ता के रूप में ऋण दस्तावेज़ निष्पादित करेंगे.
7.	**व्ययों के लागू शीर्ष**	1. ट्यूशन / पाठ्यक्रम शुल्क 2. परीक्षा/ पुस्तकालय/ प्रयोगशाला शुल्क. 3. जमानत राशि 4. पुस्तकें/ उपकरणों/ यंत्रों की खरीद. 5. पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए यदि कोई अन्य यथोचित व्यय आवश्यक पाया जाता है तो उस पर उसकी योग्यता के आधार पर विचार किया जाएगा. 6. उधारकर्ता विद्यार्थी हेतु बीमा प्रीमियम, यदि बीमा सुरक्षा मांगी गई हो.
8.	**प्रोसेसिंग शुल्क**	**कुछ नहीं**
9.	**प्रभार**	(क) बंधक प्रभार, दस्तावेजीकरण/ स्टैम्प प्रभार : ग्राहक द्वारा वहन किए जाने वाले वास्तविक व्यय. (ख) संस्थान बदलने के लिए प्रभार : रु.250/-.
10.	**चुकौती की शर्तें**	चुकौती प्रारम्भ होने के बाद बिना किसी पूर्व भुगतान प्रभार के उधारकर्ता किसी भी समय ऋण की चुकौती कर सकता है.
11.	**चुकौती का तरीका**	केवल स्थायी अनुदेश (एसआई).
12.	**सह-आवेदक**	संयुक्त उधारकर्ता के रूप में विद्यार्थी और अभिभावक/संरक्षक दोनों के द्वारा ऋण दस्तावेज़ निष्पादित किए जाएंगे. सभी ऋणों के लिए सह-आवेदक अनिवार्य है.
13.	**दस्तावेज़**	1. पूरा भरा हुआ आवेदन फॉर्म. 2. उधारकर्ता से घोषणा/शपथ पत्र लिया जाए कि उन्होंने अन्य बैंकों से शिक्षा ऋण नहीं लिया है. **क. <u>आवेदक:</u>** - आयु का प्रमाण - पहचान का प्रमाण - पते का प्रमाण - अंतिम अर्हता परीक्षा की अंक सूची - प्रवेश का प्रमाण, छात्रवृत्ति, अधिछात्रवृत्ति आदि - विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम के लिए व्यय अनुसूची **ख <u>सह-आवेदक :</u>** पिछले चार महीने का प्रमाणित बैंक खाता विवरण (सह-आवेदक के पास 4 महीनों से कम के बैंकिंग विवरण होने पर अंतर राशि प्रदान नहीं की जाएगी) - पहचान का प्रमाण - आयु का प्रमाण - रोजगार सह व्यवसाय का प्रमाण

क्र.सं	मानदंड	मानदंडों का विवरण
		आय का प्रमाण : वेतनभोगी - पिछले 2 माह की वेतन पर्ची + फॉर्म 16 स्वरोजगार करने वाले-(1) अनुसूचियों के साथ पिछले 2 वित्तीय वर्ष का लाभ हानि खाता और तुलन पत्र; (2) पिछले 2 वर्षों की आय कर विवरणियाँ. कृषि आय : आयकर विवरणियाँ, सक्षम अधिकारी से प्रमाणित आय दस्तावेज़ (जैसे तलाठी) आदि.